उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्याः 5/2022/399/94-स्टा0नि0-2-2022-700(25)/2020

लखनऊ, दिनांकः 13 मई, 2022

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10, 74 और 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है-:

उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली 2013 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
13- प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता का मानदण्ड- नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक और स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता धारक स्टाम्प विक्रेता, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	13- प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता का मानदण्ड- नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अधीन लाइसेंसधारी और स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता धारक स्टाम्प विक्रेता अथवा कामन सर्विस सेन्टर ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड अथवा उचित दर दुकान स्वामी, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

आज्ञा से

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:- 5/2022/399/94-स्टा0नि0-2-2022-700(25)/2020 दिनांक: 13 मई, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 13 मई, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या:- 5/2022/399/94-स्टा0नि0-2-2022-700(25)/2020 दिनांक: 13 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
7- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
8- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
9- विधायी अनुभाग-1
10- भाषा अनुभाग-5
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 5/2022/399/94-S.R.-2-2022-700(25)2020 dated 13 May, 2022:

NOTIFICATION

No. 5/2022/399/94-S.R.-2-2022-700(25)2020

Lucknow, Dated 13 May, 2022

In exercise of the powers under sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013:

THE UTTAR PRADESH E-STAMPING (THIRD AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh E-Stamping (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 13

2- In the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013, for rule 13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Column-I	Column-II
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
13- Eligibility criteria for appointment of Authorized Collection Center- Any Scheduled Bank, any Financial Institution or undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution or Undertaking controlled by the Government, or a Post Office or a stamp vendor having license under Uttar Pradesh Stamp Rules,1942, and possessing educational qualifications prescribed by the Stamp Commissioner, Uttar Pradesh will be eligible for appointment as Authorized	**13- Eligibility criteria for appointment of Authorized Collection Center-** Any Scheduled Bank, any Financial Institution or undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution or Undertaking controlled by the Government, or a Post Office or a stamp vendor having license under Uttar Pradesh Stamp Rules,1942, and possessing educational qualifications prescribed by the Stamp Commissioner Uttar Pradesh or Common Service Center e-Governance Services India Limited or Fair-price shop owner will be

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Collection Center, subject to the prior approval of the Appointing Authority under rule 12.	eligible for appointment as Authorized Collection Center, subject to the prior approval of the Appointing Authority under rule 12.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।